

परिशिष्ट

(देखिए नियम- 6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा- 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग- 1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण:-

1.

क). अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

तांकुल (क्षमता - 4 x 3000 किलोवॉट) लघु जल विद्युत परियोजना के नवनिर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

ख). 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

मानचित्र संलग्न है।

ग). परियोजना की लागत।

11842.76 लाख।

घ). वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

परियोजना निर्माण हेतु कई विकल्पों का अध्ययन किया गया।
वर्तमान स्थल निर्माण कार्य के दृष्टिकोण से, तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त है।

ङ). लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)

परियोजना निर्माण से प्रतिवर्ष एम0यू0 विद्युत उत्पादन राज्य विद्युत परिषद् की ग्रिड को फीड की जायेगी। परियोजना के निर्माण से वनों के ऊपर से निर्भरता कम होगी।

च). रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

परियोजना के निर्माण के दौरान स्थानीय निवासियों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

पावर हाऊस, स्विच यार्ड, हेड वर्क्स, पावर चैनल, फोरवे टैंक एवं पेन स्टॉक की अतिरिक्त लम्बाई हेतु आवश्यक भूमि।

नाप भूमि0.839 हैक्टेयर।

सिविल सोयम वन भूमि9.397 हैक्टेयर।

वन पंचायत भूमि0.00 हैक्टेयर।

आरक्षित वन भूमि0.00 हैक्टेयर।

कुल भूमि.....10.236 हैक्टेयर।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

परियोजना एक लघु जल विद्युत परियोजना है तथा परियोजना से भूमि जलमग्न नहीं होगी। तथा न ही कोई परिवार विस्थापित होगा।

क) परिवारों की संख्या

शून्य।

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

शून्य।

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

कोई आवश्यकता नहीं है।

4. क्या पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 हॉ। के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं)

आवश्यकता पड़ने पर ली जायेगी।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दंड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)

संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।

संलग्न है।

दिनांक...21.11.2016..

स्थान...पिथौरागढ़...


Assistant Engineer
Small Hydro Project
UJVN Ltd.
Division- Dharchula
Distt - Pithoragarh


JCC

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम **गोपाल सिंह**
अधिशाली अभियन्ता (जानपद-लजविप)
मोहर **यूजेवीएन लिमिटेड**
धारचूला, पिथौरागढ़

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

प्रारूप-3

भाग-2 (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति :

तहसील धारचूला अन्तर्गत 4X3000
किलोवाट तांकुल जल विद्युत
परियोजना के नवनिर्माण हेतु
10.236 हेक्टेयर वन भूमि

(i) राज्य/संघराज्य क्षेत्र :

उत्तराखण्ड

(ii) जिला :

पिथौरागढ़

(iii) जिला वनप्रभाग :

पिथौरागढ़ वनप्रभाग

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र :

संलग्न

17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गयी वन भूमि की विधिक प्रास्थिति :

सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा :

संलग्न हैं।

(i) वन का प्रकार :

0.2

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व :

संलग्न हैं।

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना :

संलग्न हैं।

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा :

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी :

यह क्षेत्र क्षरित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :

250 Km

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :

संलग्न हैं।

(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्य जीव का ब्यौरा :

संलग्न हैं। प्रस्तावित नहीं है।

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्य जीव उत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं। (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किये जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

नहीं।

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि०मी० के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

नहीं।

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे, वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि०मी० के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

नहीं।

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि है तो उसके ब्यौरे :

नहीं।

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किये जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओओसीओ) के साथ उसका ब्यौरा दे :

नहीं।

23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्ति युक्तता के बारे में टीका-टिप्पणियां या दें :

संलग्न है।

(i) क्या भाग-1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथा प्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम हैं :

अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है :

लागू नहीं।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्ग दर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)

नहीं

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही :

नहीं

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

नहीं

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वन रोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गयी वन भूमि की विधिक प्रारिथति :

संलग्न है।

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेन्ट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें :

संलग्न है।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएँ संलग्न हैं।

संलग्न है।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं। (हां/नहीं।)

संलग्न है।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

संलग्न है।

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में सम्बद्ध उपवन संरक्षण से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।

संलग्न है।

26. वनस्पति और जीव जन्तु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उपवन संरक्षक की स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट संलग्न हैं (हां/नहीं)

संलग्न है।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उपवन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों :

संलग्न है।

स्थान : फिरोज़पुरा

तारीख : 22-11-2016

संलग्न है। प्रस्ताव स्वीकृति
सहित अनुसार प्रस्तावक विभाग
श्री। रघुम सुबका, व भारत सरकार
श्री। लंगड राई, शरीर का उपपालक
श्री। जेमा डोगा
सहच

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

अनादीत वन अधिकारी
क्षतिपूरक वन प्रशासक

प्रारूप-4

भाग-3

28. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पणी के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाए।

29. क्या वन संरक्षक भाग-2 में दी गयी जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत है।

30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों :

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

भाग— IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17— टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

भाग— V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी
जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 18— राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग— II या भाग— III या
भाग— IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर